(167)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1596—दो/2007 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 22—08—2007 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 54/अपील/2004—05

.....

सत्यभान तनय श्यामलाल पटेल
निवासी—ग्राम बिठौली, पो0ओ0 बिठौली, तहसील सिहावल
जिला—सीधी (म0प्र0)

..... आवेदक

विरूद्ध

1— नाथू तनय तरूआ कोल
2— रामलल्लू तनय तरूआ कोल
3— केमला तनय तरूआ कोल
4— सुबरनआ बेवा पत्नी तरूआ कोल
निवासीगण— ग्राम बिठौली, तहसील सिंहावत
जिला—सीधी(म0प्र0)

..... अनावेदकगण

.....

श्री प्रदीप श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक
श्री आर0डी0 शर्मा, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

आदेश

(आज दिनांक 17/08/2017 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 22—08—2007 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बिठौली की भूमि पुराना आराजी नं0 2310 के अधिकार अभिलेख में नवीन आराजी नं0 2476, 2477, 2478 एवं 2479 के निर्मित के दौरान हुये नक्शा त्रुटि के संबंध में अनावेदकगण द्वारा तहसील सिहवाल के समक्ष नक्शा त्रुटि सुधार का आवेदन दिया गया, जिस पर तहसीलदार सिहवाल द्वारा दिनांक 11.02.2003 से नक्शे में सुधार किये जाने का आदेश पारित किया गया। तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी गोपदबनास के समक्ष प्रथम अपील पेश की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य पर विचारोपरांत दिनांक 08.12.2004 से आवेदक की अपील को निरस्त किया तथा तहसीलदार सिहवाल के आदेश को स्थिर रखा । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक ने द्वितीय अपील अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष प्रस्तुत किया, जहॉ अपर आयुक्त ने अपने प्रकरण क्रमांक 54/अपील/2004–05 में पारित आदेश दिनांक 22–08–2007 द्वारा अपील को सारहीन मानते हुये निरस्त किया है। अपर आयुक्त रीवा के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

3/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रकरण का निराकरण अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों के आधार पर किये जाने का निवेदन किया गया है। अतः प्रकरण का निराकरण अभिलेखों के आधार पर किया जा रहा है।

4/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । तहसीलदार सिहवाल द्वारा ग्राम बिठौली की आराजी नं0 2476, 2477, 2478 एवं 2479 के संबंध में राजस्व निरीक्षक से जांच कर प्रतिवेदन मंगाया गया । राजस्व निरीक्षक ने मौके की विधिवत जांच और स्थल टीप तैयार कर प्रतिवेदन तहसीलदार सिहावल को प्रेषित किया। प्रतिवेदन में पाया गया कि आराजी नं0 2478/3289 कैमोर ब्लाक पहाड़ के अंतर्गत है और उक्त विवादित आराजियों नं 2476, 2477, 2478 एवं 2479 का निर्माण पुराना आराजी नं0 2310 से हुआ है । आराजी नं0 2477 पर अनावेदक का कब्जा पाया गया है तथा पुराने आराजी नं0 2310 में अनावेदक ही भूमिस्वामी रहा है। तहसीलदार सिहावल के आदेश दिनांक 11.02.2003 में स्पष्ट लेख है कि अधिकार अभिलेख के समय उक्त आराजियों में भिन्नता पाई जाना स्वाभाविक है और इसी कारण

तहसीलदार द्वारा नक्शा में सुधार किये जाने का आदेश पारित किया गया । अनुविभागीय अधिकारी गोपदबनास एवं अपर आयुक्त रीवा ने तहसील न्यायालय के आदेश को उचित माना है। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों ने समवर्ती निष्कर्ष निकाला है। अतः उसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाती है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर